



मारपीट से हुई थी पवन की मौत, छह अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना हनुमंत विहार पुलिस ने तीन बाल अपचारी समेत 6 अभियुक्त दबोचे
- शनिवार की रात मोमोज की दुकान में मोमोज व फिंगर चिप्स आदि के खाने को लेकर हुई थी मारपीट
- मारपीट में घायल पवन की इलाज के दौरान हो गई थी मौत

कानपुरा 26.08.2023 को मौरंग मंडी के पास मोमोज व फिंगर चिप्स आदि के खाने को लेकर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें घायल हुए युवक पवन की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के साथ मारपीट करने वाले छह अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में तीन बाल अपचारी भी शामिल हैं।

घटना के संबंध में वादी मुकदमा रामू पुत्र सुरेन्द्र नि० कच्ची बस्ती झोपड़ी हनुमंत विहार कानपुर नगर द्वारा दिनांक 27.08.2023 को लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 231/23 धारा 147/352/323/308 आईपीसी बनाम पिंटू आदि 06 नफर अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घायल रामू पुत्र सुरेन्द्र नि० कच्ची बस्ती झोपड़ी हनुमंत विहार की चोटों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए पुलिस द्वारा काशीराम हास्पिटल भेजा गया तथा पवन पुत्र तारा नि० कच्ची बस्ती झोपड़ी हनुमंत विहार के गंभीर चोटे होने के कारण परिजनो व पुलिस द्वारा मौके से एम्बुलेन्स की मदद से सीधे हैलेट में अस्पताल उपचार भर्ती कराया गया तथा परिजनो द्वारा पवन को हैलेट अस्पताल में हो रहे उपचार से संतुष्ट न होने पर परिजनो द्वारा हैलेट अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर व्यक्तिगत रूप से जनपद उन्नाव अजगेन ले गए। उन्नाव ले जाते समय पवन की मृत्यु हो गयी। तथा दिनांक 27.08.2023 को मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्तगण पिन्टू आदि 06 नफर को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- पिन्टू पुत्र सरवन निवासी कच्ची बस्ती भीम नगर थाना बर्गा कानपुर नगर उम्र 21 वर्ष
- गोपाल उर्फ टक्कल पुत्र रामसजीवन निवासी शिवाजी पुलिया इण्टर कालेज के पास उस्मानपुर उम्र 20 वर्ष
- अज्जू उर्फ राहुल पुत्र राकेश निवासी ईश्वर प्रेम आश्रम के पीछे कृष्णधाम अपार्टमेंट के सामने उस्मानपुर थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष
- तीन बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गोपाल उर्फ टक्कल उम्र करीब 20 वर्ष।

1. मु०अ०सं० 231/2023 धारा 147/323/352/308 भादवि० थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर
2. मु०अ०सं० 193/2017 धारा 401 भादवि० थाना किदवई नगर कानपुर नगर
3. मु०अ०सं० 33/2022 धारा 323/504/506 भादवि० थाना गुजैनी कानपुर नगर
4. मु०अ०सं० 175/2017 धारा 380/411/457 भादवि० थाना किदवई नगर कानपुर नगर
5. मु०अ०सं० 41/2023 धारा 380/457/411 भादवि० थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल कुमार उर्फ अज्जू उम्र करीब 19 वर्ष

1. मु०अ०सं० 870/2018 धारा 376डी भादवि० 3/4 डीपी एक्ट थाना बर्गा कानपुर नगर
2. मु०अ०सं० 231/2023 धारा 147/323/352/308 भादवि० थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पिन्ट्र उम्र करीब 21 वर्ष

1. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 147/323/352/308 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष

1. मु0अ0सं0 33/2022 धारा 323/352/504/506 भादवि0 थाना गुजैनी कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 147/323/352/308 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष

1. मु0अ0सं0 33/2022 धारा 323/352/504/506 भादवि0 थाना गुजैनी कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 41/2023 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना गुजैनी कानपुर नगर
3. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 147/323/352/308 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष

1. मु0अ0सं0 0534/2020 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना बर्दा कानपुर नगर
2. मु.अ.सं. 0793/2020 धारा 323/352/427/506 भादवि0 थाना बर्दा कानपुर नगर
3. मु.अ.सं. 884/2020 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधि0 1985 थाना बर्दा कानपुर नगर ।
4. मु0अ0सं0 231/2023 धारा 147/323/352/308 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में: थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह, उ0नि0 प्रसून मिश्रा, उ0नि0 आशीष कुमार मिश्रा, उ0नि0 विनोद कुमार, उ0नि0 निशांत राणा, हे0का0 अनुपम कुमार, हे0का0 राजीव कुमार, हे0का0 सुवीर कुमार शामिल रहे।